बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)
कार्यालय हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर
अति अल्पकालिन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर में पशुओं को खिलाने हेतु सूखा चारा (1) गेहूं भूसा (2) नेवारी कुटी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रय करने हेतु मोहर बंद निविदा निकाली गई है। निविदा प्रकाशन से 07 दिन के अंदर 5:00 बजे अपराहन तक कार्यालय में हाथों हाथ या डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त निविदा को अगले 11:00 बजे पूर्वाहन में स्थानीय क्रय समिति के द्वारा खोली जाएगी कार्यालय में अवकाश रहने या क्रय समिति के पदाधिकारी के नहीं आने के कारण निविदा खोलने समय विस्तार किया जा सकता है। निविदा दाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के लिए समय पर उपस्थित रह सकते है। निविदा दाता के अनुपस्थित रहने पर भी निविदा खोली जा सकती है।

1. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दो भागों मे अलग-अलग लिफाफ में ली जाएगी तकनीकी भाग में निविदा की योग्यता से संबंधित अभिलेख होंगे तथा वित्तीय भाग में दर का विवरण होगा। केवल उसी निविदाओं के वित्तीय भाग को खोला जाएगा जो तकनीकी रूप से योग्य पाए जाएंगे।

2. संवदक का निबंधन आपूर्ति हेतु निबंधन विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा होना आवश्यक है केवल निबंधन विभाग में निबंधित संवेदक या फर्म ही निविदा में भाग ले सकते है।

3. निविदा के साथ 3 वर्षो मे से किसी एक वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न देना आवश्यक होगा।

4. निविदा दाता को निविदा के साथ आधार एवं पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति देनी होगी अगर फर्म है तो फर्म का ही पैन कार्ड देना है।

5. निविदा के साथ पारदर्शी थैले में 200 ग्राम मुहरबंद नमुना देना होगा। जिससे निविदा दाता का नाम पता एवं तिथि अंकित होगा।

6. अग्रधन की राशि 1000/–रू0 (एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर के नाम से देना होगा।

7. संवेदक या फर्म का नाम काली सूची मे दर्ज नहीं रहने से संबंधित एक स्व अभिप्रमाणित शपथ प्रमाण पत्र देना होगा।

8. एक से अधिक निविदा दाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी किसी भी निविदा दाता की आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. निविदा मे सभी तरह का खर्च सन्नहीत होना चाहिए।

10. माल की आपूर्ति गोदाम तक पहुंचा कर करना होगा तथा माल की तौलाई आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।

11. माल नमूने के अनुसार नहीं रहने पर माल नहीं ली जाएगी।

12. माल स्वीकृत दर से कम दर पर लेने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।

13. निर्धारित समय के अंदर आपूर्ति नही होने पर अग्रधन की राशि को जप्त कर लिया जाएगा।

14. चयनित निविदा दाता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिनों के अंदर माल आपूर्ति करनी होगी।

15. नये वित्तीय नियमावली के अनुसार विपत्र की राशि में जो भी कर होगा उसे काटकर भुगतान किया जाएगा।

16. आपूर्तिकर्ता का व्यवहार संतोषजनक रहने पर आपसी से एक वर्ष के लिए आपूर्ति अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

17. अधोहस्ताक्षरी के बिना कोई कारण बताएं किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. निर्धारित समय के बाद निविदा नहीं ली जाएगी।

उक्त जानकारी एवं शर्तो https://state.bihar.gov.in/ahd पर देखा जा सकता है।

प्रबन्धक

हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र
डुमराँव, बक्सर।

10.6.25